

संख्या - 1177/1-10-2009-12(34)/2003टीसी-2

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेषित में,

जिलाधिकारी,
महामायानगर एवं आजमगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ दिनांक 20 अगस्त, 2009

विषय: वर्ष 2008-09 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्यों हेतु धनवितरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1086/दै0आपदा-समयोजन, दिनांक 16 मार्च, 2009 (महामायानगर) एवं पत्र संख्या-550/आपदा, दिनांक 18 मार्च, 2009 (आजमगढ़) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के नवाग हेतु तत्काल मद लोगों को निःशुल्क कमल वितरण हेतु कार्य किये गये कमल के पुष्पक हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित कुल धनराशि रु० 13,63,440/- (रुपये तीस लाख तिरसठ हजार चार सौ बालीस मात्र) अप्रतिष्ठित प्रस्ताव में उल्लिखित राशि एवं प्रतिव्यक्ति के अधीन आवंटित करने की राहमें स्वीकृति प्रदान करते हैं -

क्रमिक	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रु० में)
1.	महामायानगर	290200
2.	आजमगढ़	1073240
	योग :	1363440

2. तत्काल स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत संख्याशीर्षक " 2245-प्रारंभिक निषादायों के कारण राहत-आयोजनोत्तर-05-आपदा राहत निधि 800-अन्य व्यय-03-आपदा निधि से व्यय 42-अन्य व्यय " के नामे डाला जाएगा।

3. कमल मद में बत हुई अनराशि का बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय संख्या 1693/1-11 2008 का 11 दिनांक 11 मार्च 2009 के अधिनियम 14 के अन्तर्गत ओलावृष्टि के अनुदान के तहत 14 संस्थाओं के माध्यम से वितरण के अन्तर्गत अलग-अलग कार्ड में बत हुई अनराशि का अतिरिक्त किया गया।



4. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण शासन को दिनांक 05 सितम्बर, 2009 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा लिया जाय। आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट www.rahataup.nic.in/rahata.2.html पर तत्काल फीड कराना सुनिश्चित किया जाय।

5. शासन द्वारा कय किये गये कम्बल के गुगतान हेतु आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2009 तक शासन को अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुरितका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को दिनांक 30 अगस्त, 2009 तक उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरतांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदी

(एसओ एनओ शुक्ला)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या - 1177 (1)/1-10-2009-12(34)/2003टीसी-2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा)/ महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उओ प्रओ इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, अलीगढ़ एवं आजमगढ़।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उओ प्रओ लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, महाभायानगर एवं आजमगढ़।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/बजट सहायक राजस्व अनुभाग-10/
राजस्व अनुभाग-6/11/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. व्यवस्थापक, श्री गांधी आश्रम, खादी ग्रामोद्योग भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
8. वालू वित्तीय वर्ष 2009-10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)

उप सचिव।